PK-HMS/1N/12.00

प्रश्न संख्या : 181

श्रीमती छाया वर्मा : सर, मैं बिना भूमिका बांधे सीधे अपने प्रश्न पर आती हूं। सर, एशिया में भारत में महिला dropouts की संख्या सब से अधिक है। इक्कीसवीं सदी में देश में प्राइमरी में तकरीबन साढ़े चार फीसदी और सेकेंडरी आते-आते dropouts की संख्या अठारह फीसदी हो जाती है और अगर लड़कियों के आंकड़े लें, तो यह अट्ठाईस फीसदी तक पहुंच जाते हैं। सर, ये आंकड़े बता रहे हैं कि शिक्षा में कतई सुधार नहीं हुआ है। सर, तीन साल पहले dropouts की संख्या चौदह प्रतिशत थी, लेकिन इन तीन सालों में यह चौदह प्रतिशत से बढ़कर सत्रह प्रतिशत हो गयी है। मैं जानना चाहती हूं कि इसे रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है।

श्री प्रकाश जावडेकर : सर, dropouts का प्रश्न महत्वपूर्ण है। आप ने छात्राओं के बारे में कहा है, इस के अनेक कारण थे। उसमें एक बड़ा कारण छात्राओं के लिए toilets का न होना था। सर, प्रधान मंत्री जी ने पहले ही वर्ष में घोषित किया कि एक साल में सभी स्कूलों में toilets बनाए जाएंगे और ये साढ़े चार लाख से ज्यादा स्कूलों में बन भी गए हैं। उसका परिणाम यह हुआ है कि इस कारण से जो dropout हो रहा था, वह कम हुआ। सर, अब इस का एक ही कारण नहीं होता है, कारण बहुत हैं। सर, 2009 में कानून आया और पहली से आठवीं तक की परीक्षाएं खत्म हुईं। उनके खत्म होने के कारण नौवीं कक्षा में dropouts होते हैं क्योंकि उन्हें नौवीं में कुछ आता ही नहीं है। सर, पिछले 10 सालों की अनेक स्कूलों की स्थिति "स्कूल आना, जाना और खाना" जैसी हो गयी। ये केवल "मिड-डे मील स्कूल" बनकर रह गए और वहां accountability नहीं थी।

Q. No. 181 (CONTD.)

इसलिए इस सरकार ने learning outcomes तैयार किए ताकि उन्हें पहली से आठवीं तक हर विषय का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो। सर, accountability of teachers भी होती है और इसी कारण हम 15 लाख टीचर्स की ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, जिससे कि शिक्षा interesting हो। छात्राओं को लगे कि मुझे क्लास में बैठना चाहिए और इस के लिए हमने बड़े कदम उठाए हैं और इन से अगले दो सालों में dropout को रोकने के बहुत अच्छे परिणाम आएंगे।

MR. CHAIRMAN: Thank you. Now, second supplementary. My advice applies to both Ministers and Members.

श्रीमती छाया वर्मा : सर, यह योजना तब काम करेगी, जब उसे लागू करने वाले लोग होंगे। आप शिक्षा से जुड़ी रिक्तियों को वर्षों तक नहीं भरते। सर, छत्तीसगढ़ और अन्य जगहों में ऐसे कई स्कूल्स हैं, जहां केवल एक अध्यापिका के भरोसे स्कूल चल रहा है। ऐसे में आप कैसे स्थिति सुधार पाएंगे, यह मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं?

श्री प्रकाश जावडेकर : सर, अपने देश में Right to Education Act में यह कहा गया है कि 30 से 35 विद्यार्थियों पर एक टीचर होना चाहिए, लेकिन अपने यहां 25 विद्यार्थियों के लिए एक टीचर है। सर, टीचर्स की कमी नहीं है, लेकिन यह स्थिति सारे मुख्य शहरों में है और 1 लाख गांवों में एक टीचर का स्कूल है। सर, यह deployment ठीक न होने के कारण होता है। इसलिए हमने सभी राज्यों से कहा है कि इन की deployment ठीक तरीके से होनी चाहिए और अगली 15 तारीख को देश के स्कूली शिक्षा मंत्रियों की

Q. No. 181 (CONTD.)

'CABE Committee' की मीटिंग होगी, उस में हम इस विषय पर प्राथमिकता से विचार करेंगे।

SHRI RANGASAYEE RAMAKRISHNA: Mr. Chairman, Sir, this is a very complex problem. There can't be one-size-fits-all type of solution. I recall that in Western Rajasthan, in the 60's --there is pastoral economy there -- we tried very patriotic teachers. They move along with the shepherds children and teach them. So, this type of an innovative solution has been found out for each area depending on the problem of dropouts.

MR. CHAIRMAN: Are you giving suggestion?

SHRI RANGASAYEE RAMAKRISHNA: Yes, Sir.

श्री प्रकाश जावडेकर : सर, Right to Education की एक casuality यह है कि ..

(1 ओ/एएससी पर जारी)

ASC-PB/12.05/1O

श्री प्रकाश जावडेकर (क्रमागत) : हमारे यहां महाराष्ट्र में जो शुगर कारखाने हैं, उनमें कटाई करने वाले मजदूरों के लिए अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं और सभी शुगर फैक्टरी के लोग भी शुगर स्कूल चलाते थे। अब यह infrastructure-led कानून बनने के कारण वे सब गैर-कानूनी हो गए हैं। जो अनौपचारिक और महत्वपूर्ण शिक्षा continuous

Q. No. 181 (CONTD.)

मिलती थी, वह माइग्रेन्ट मजदूरों को नहीं मिलती, यह भी drop-out का एक बड़ा कारण है।

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Sir, the hon. Minister has given us detailed explanations but the fact of the matter is quite fundamental. Unless you can influence State Governments, most of the schools are in severe state of disrepair. कई स्कूलों में एक ही class room में सारा दिन अलग-अलग classes की पढ़ाई की जाती है। महिला teachers की कई अलग समस्याएं हैं।

श्री सभापति : आपका question क्या है?

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: What have you done to empower women teachers to go into rural areas for posting? There is no infrastructure existing.

MR. CHAIRMAN: Right. Mr. Minister.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: There are no incentives or facilities for women teachers to go there.

MR. CHAIRMAN: Right.

SHRIMATI RENUKA CHOWHDURY: And, are you aware that teachers sub-lease their jobs in most of your schools, particularly, in U.P. and Bihar?

MR. CHAIRMAN: Please, Madam. Question.

Q. No. 181 (CONTD.)

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: That is the question.

MR. CHAIRMAN: Right.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Is he aware that the teachers sub-lease their jobs and incompetent people are teaching?

MR. CHAIRMAN: Right. I have already called the Minister. Please.

श्री प्रकाश जावडेकर : सर, यह सच्चाई है कि कुछ जगह शिक्षक खुद नहीं जाते हैं और वहां पर किसी दूसरे को भेजने का काम करते हैं, इसलिए हमने तीन उपाय किए हैं। एक, बहुत जगह उनकी electronically present mark करने की व्यवस्था अनेक राज्यों में शुरू हुई है।

दूसरे, राजस्थान जैसे राज्य ने एक अच्छा काम किया है कि जो भी original शिक्षक हैं, जिनकी actually नियुक्ति हुई है, उनके फोटोज़ स्कूल में लगाते हैं और उन पर लिखते हैं कि ये हमारे आदरणीय गुरुजन हैं। इसमें किसी को कोई objection भी नहीं होता है। यह parents को, गांव को और सबको पता चलता है कि कौन शिक्षक है और इससे पुरानी प्रथाएं भी समाप्त होंगी। हम इसके लिए और भी technology का उपयोग करके, चुस्त व्यवस्था बना रहे हैं।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी ने अपने लिखित उत्तर के (ग) में कहा है कि अभिभावकों अथवा घर के मुखिया द्वारा शिक्षा को जरूरी न समझना। मान्यवर, यह तो देश के नागरिकों का अपमान है। देश की असली समस्या

Q. No. 181 (CONTD.)

गरीबी और स्कूलों का न होना है। मान्यवर, शामली का सरदार वल्लभ भाई इन्टर कॉलेज, जो गंगेरु में था, वहां से सैकड़ों बच्चियों घर जा रही थीं। उनमें से एक बारहवीं कक्षा की छात्रा की गला रेतकर हत्या कर दी गई।

श्री सभापति : आप अपना सवाल पूछिए।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि देश के लोग अभिभावकों का अपमान कर रहे हैं। जब स्कूल होगा, तो अध्यापक भी होंगे और वे बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे।

श्री सभापति : सवाल प्लीज़।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : मान्यवर, मेरा यह सवाल है कि देश में ऐसे कितने मजरे व फॉरेस्ट विलेजेज़ हैं, जहां पर स्कूल नहीं हैं, तो माननीय मंत्री जी कब तक वहां स्कूल व अध्यापकों की व्यवस्था करवा देंगे?

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री प्रकाश जावडेकर : करीब सभी स्कूलों की मैपिंग हो गई है और अभी एक किलोमीटर के दायरे में सभी जगह प्राथमिक स्कूल हैं। जहां ऐसी स्थ्िाशति है कि चार छात्राएं हैं और पांच शिक्षक हैं, तो ऐसे स्कूलों का भी consolidation करके, उनके transport की भी व्यवस्था की है, तो अनेक राज्यों ने ऐसे भी प्रयोग किए हैं। इसलिए 'सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा' हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

Q. No. 181 (CONTD.)

श्री सभापति : यह समस्या और यह subject बहुत महत्वपूर्ण था, मेरे पास 12 नाम आए हैं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, मैं केवल तीन ही लोगों को बोलने का मौका दे सकता हूं। हम आगे देखेंगे कि इस पर क्या करना है। Question N0. 182. ...(Interruptions)...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, ...

MR. CHAIRMAN: Please. Please. ...(Interruptions)... Question No. 182. ...(Interruptions)... Please. ...(Interruptions)... But there is no name. Otherwise, we would have gone for a Short Notice Discussion also. ...(Interruptions)... Please.

(Ends)

Q.NO. 182

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, the Renke Commission appointed by the Government of India has not recommended for the repeal of the Habitual Offenders Act. Sir, because of this Act, these subjected tribes are stigmatized as criminals, and whatever activities they are undertaking are considered as crimes after various enactments. Sir, their livelihood is totally deprived.

(Contd. by 1p/SKC)

SKC-KLG/1P/12.10

SHRI TIRUCHI SIVA (contd.): Sir, performing acrobatics on the road and juggling has now been declared a criminal offence as per the anti-begging law in some States.

MR. CHAIRMAN: So, what is your question?

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, I am coming to the question. It is a very important question.

Most of the people earn their livelihood by training animals. The Wildlife Protection Act prevents them from doing that too. In such a situation, they are left with no livelihood. I would like to know from the hon. Minister whether, through the Make-in-India campaign, these people, who

Q. No. 182 (CONTD.)

are rich in culture and are also skilled artisans, are given some livelihood by the Government. What are the initiatives that the Government has taken to provide alternative livelihood to these people when all other means have been prohibited?

श्री कृष्ण पाल : आदरणीय सभापति जी, माननीय सांसद जी ने सही कहा है कि आज भी उनको अभ्यासिक अपराधी माना जाता है। माननीय सदस्यों को मैं बताना चाहूंगा कि 2005 में एक आयोग बना था, जिसे रेणके कमिशन कहा जाता है, उसने साल 2008 में अपनी रिपोर्ट दी थी, लेकिन उस रिपोर्ट में इस विषय पर कोई संस्तुति नहीं की गई थी। फिर उनकी समस्या को देखते हुए जो अब 2015 में आयोग बना है, उसने अभी दो दिन बाद 8 जनवरी को अपनी रिपोर्ट देनी है। उन्होंने अपनी अंतरिम रिपोर्ट, जो पहले दी थी, उसमें उन्होंने संस्तुति की थी कि इसके बारे में विचार कर रहे हैं। अब इसकी अंतिम रिपोर्ट दो दिन बाद आनी है और मैं समझता हूँ कि उस रिपोर्ट के आने के बाद उस पर निश्चित तौर पर सरकार कार्रवाई करेगी।

MR. CHAIRMAN: Second supplementary.

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, the *narikkuruva* community in Tamil Nadu, who are actually qualified to be a Scheduled Tribe, are not so. A Bill in this regard was moved earlier, but that was suspended. Now, it seems that the Cabinet has approved the Bill, but it has not been brought yet. Because of

Q. No. 182 (CONTD.)

this, those people are not able to avail the benefits that are extended by the Government. When does the Government propose to table that Bill and declare them as Scheduled Tribes?

श्री कृष्ण पाल : माननीय सभापति जी, सदस्य जी ने जो सवाल उठाया है, उसकी जानकारी फिलहाल मेरे पास नहीं है। जल्दी ही लिखित में इसकी जानकारी उनको पहुंचा दी जाएगी।

MR. CHAIRMAN: Shri V. Vijayasai Reddy.

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, the Cabinet has already approved the Bill. I request the Minister to kindly take appropriate initiatives. Sir, you are aware of the *narikkuruva* community. It would prove a boon to them.

MR. CHAIRMAN: If the Cabinet has approved it, then we should move things forward. Take note of the same.

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: Sir, hon. *Amma* had written several letters. Let that be on record. ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Please, please; we are not discussing it now.

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: Sir, hon. *Amma* had written several letters. ...(Interruptions)...

Q. No. 182 (CONTD.)

MR. CHAIRMAN: I agree. Please, Mr. Navaneethakrishnan. ...(Interruptions)... The. Minister may take note of this and उसको ध्यान में रख कर आगे बढ़ना है, यह सुझाव था।

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, the National Commission for Denotified Nomadic and Semi-nomadic Tribes had recommended in its Interim Report in July, 2017, that the Government should chart out a roadmap to improve the lives of these communities. I would like to know from the Government whether the Government of India has accepted those recommendations. If so, what steps are being taken by the Government in order to achieve this goal?

श्री कृष्ण पाल : माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है, जैसा उन्होंने योजनाएं बनाने के काम का कहा, तो पहले ही कुछ योजनाएं उनके कल्याण के लिए बनाई गई हैं। अब जब आयोग की रिपोर्ट आएगी, उसमें वे क्या-क्या रिकमंडेशंस करेंगे, किन-किन योजनाओं के लिए सुझाव देंगे, तो निश्चित तौर पर आयोग की रिपोर्ट आने के बाद उन पर अमल किया जाएग।

श्री सभापति: मंत्री जी, वे कह रहे हैं कि रिकमंडेशन आई है। ...(व्यवधान)... Please; I am here to take care. Please, don't worry. वे कह रहे हैं कि ऑलरेडी रिपोर्ट आई है और उसमें सिफारिश की है, उस पर क्या एक्शन लिया है? ऐसा वे पूछ रहे हैं।

Q. No. 182 (CONTD.)

श्री कृष्ण पाल: सर, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि उस रिपोर्ट का परीक्षण किया जा रहा है और फाइनल रिपोर्ट आने के बाद उस पर विचार किया जाएगा।

(1क्यू/केएसके-एकेजी पर आगे)

KSK/AKG/12.15/1Q

SHRI K.T.S. TULSI: Sir, apart from the National Commission, there is the United Nations' Committee on Elimination of Racial Discrimination, which has requested India that classifying nomadic people as having criminal tendencies is against the rule of law and has asked that the Habitual Offenders Act must be repealed because you can't classify people. For example, a child born in that tribe will automatically be known as a criminal. This kind of a thing is completely out of sync with the rule of law and justice.

MR. CHAIRMAN: Please put the question.

SHRI K.T.S. TULSI: Are we thinking of repealing the Habitual Offenders Act, and if so, when?

श्री कृष्ण पाल : माननीय सभापति जी, मैं माननीय सदस्य, के.टी.एस. तुलसी जी को बताना चाहूँगा कि यह जो कानून है, यह बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। रेणके आयोग ने इसके निरसन की संस्तुति नहीं की थी, लेकिन जो नया आयोग, भीकू रामजी इदाते जी की रहनुमाई में बना है, उसने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में इसके निरसन करने

Q. No. 182 (CONTD.)

की बात कही है। इसकी फाइनल रिपोर्ट दो दिन बाद आनी है। हमें लगता है कि निश्चित तौर पर उस रिपोर्ट में इसको निरस्त करने का सुझाव आएगा। सरकार भी इसको निरस्त करने के पक्ष में है।

डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूँगा कि इस तरीके से जिनको जन्म से ही अपराधी घोषित किया जाता है, ऐसे जनजातीय बंधुओं के पुनर्वास के लिए महाराष्ट्र में और कई जगहों पर कई अच्छे प्रयास हुए हैं, जिनके द्वारा उनको मुख्यधारा में लाकर उन्हें अपराध के मार्ग से अलग किया जाता है और अच्छे तरीके से शिक्षा-दीक्षा दी जाती है। क्या सरकार इन सारे प्रयासों की समीक्षा करते हुए इनके लिए कोई और नई योजना बनाएगी?

श्री कृष्ण पाल : माननीय सभापति जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि अभी इनके पुनर्वास के लिए, इनको समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए पहले से सरकार चार तरह की योजनाएँ भी चला रही है। इनमें DNTs के लिए डॉ. अम्बेडकर मैट्रिक पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति है और DNT बालक एवं बालिकाओं के लिए छात्रावासों के निर्माण की नानाजी देशमुख योजना है, इसके अतिरिक्त कौशल विकास की योजना है, ये योजनाएँ चल रही हैं। जैसे-जैसे इनके लिए सुझाव आएँगे, हम उन पर विचार करेंगे।

(समाप्त)

Q.No.183

MR. CHAIRMAN: Now, Question No.183; the Member is not there. Are there any supplementaries? No. Now, we are going to the next question.

(Ends)

Q.No.184

SHRIMATI RAJANI PATIL: Sir, the hon. Minister has given an answer just like declaring two crore jobs every year for our unemployed youth. The reply states, "The Act inter-alia provides for four per cent reservation in vacancies in Government establishments for persons with benchmark disabilities." I want to ask, through you, Sir, as to how many disabled persons have been employed under this four per cent reservation quota till now.

श्री कृष्ण पाल : माननीय सभापति जी, मैं माननीया सदस्या को बताना चाहूँगा कि जब आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में एक लोकप्रिय सरकार बनी, तो हमारे दिव्यांगों के लिए भारत सरकार की नौकरियों में जो रिजर्वेशन था, वह 3 परसेंट था, लेकिन नए बिल के अनुसार हमने उसको ...

SHRIMATI RAJANI PATIL: My question is very specific. ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Let him reply. If you are not satisfied, then, you can ask. ...(Interruptions)...

श्री कृष्ण पाल : मैं बता रहा हूँ। देखिए, दिव्यांगों के प्रति आदरणीय मोदी जी की सरकार कितनी संवेदनशील है, ...(व्यवधान)...

श्री सभापति : आप बोलिए। ...(व्यवधान)... No running commentary, please.

(1आर/एससीएच पर आगे)

SCH-SK/12.20/1R

Q. No. 184 (CONTD.)

श्री कृष्ण पाल : मैं बता रहा हूं, आप सुनिए तो सही।

श्री सभापति : आप बोलिए।

श्री कृष्ण पाल : नये बिल में उसको बढ़ाकर 3 % से 4% किया गया है। जब हमारी सरकार ने कार्यभार संभाला था, मैं आपको बताना चाहता हूं, उस समय दिव्यांगों का बैकलॉग 15,694 था। पिछले तीन सालों में हमने 15,694 में से लगभग 14,000 दिव्यागों को भारत सरकार की सेवाओं में नौकरी दे दी है। अभी और 1000 नौकरियां देने का प्रोसेस चल रहा है और उनको भी बहुत जल्दी नौकरी दे दी जाएगी। दिव्यांगों के प्रति यह सरकार कितनी संवेदनशील है, यह इसी बात से सिद्ध होता है।

SHRIMATI RAJANI PATIL: Sir, we are asking very specific questions, but, unfortunately, the Minister is not giving any specific reply. Sir, we need to provide a disabled-friendly atmosphere in our society. When we visit foreign countries, we see how many facilities these differently-abled people have. It is very unfortunate that in our country, especially in trains and railway stations, it is very difficult for disabled people even to walk. So, what steps is the Government of India taking for creating a friendly atmosphere for these disabled or differently-abled people in our country?

Q. No. 184 (CONTD.)

श्री कृष्ण पाल : माननीय सभापति जी, मैं माननीय सदस्या जी के ध्यान में यह लाना चाहूंगा कि दिव्यांगों के लिए आवागमन बाधामुक्त हो, यह अभियान माननीय मोदी जी की सरकार ने 3 दिसम्बर, 2015 को चलाया था।...(व्यवधान)...

SHRIMATI RAJANI PATIL: Sir, my question was very specific.

श्री आनन्द शर्मा : जो ये कह रहे हैं, इनका उत्तर सुनने के लिए...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Please, please. Anand Sharma*ji*, you are a senior Member.

श्री कृष्ण पाल : जो सरकारी और गैर-सरकारी बिल्डिंग्स हैं, उनमें दिव्यांगों के लिए ramp बनाए जाएं, escalator लगाए जाएं, लिफ्ट लगाई जाए, यह नई योजना आदरणीय मोदी जी की सरकार लेकर आई थी। इस योजना पर बहुत तेज गति से काम चल रहा है। अभी तक राज्यों की तरफ से 3,000 से भी ज्यादा प्रस्ताव आ चुके हैं। बहुत से राज्यों ने अभी तक प्रस्ताव भेजा ही नहीं है, जैसे पश्चिमी बंगाल। जो-जो राज्य सरकार हमारे पास प्रस्ताव भेजती है, उस पर हम तुरन्त कार्यवाही करते हैं और उसके लिए बजट एलोकेट करते हैं। अभी तक गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान इत्यादि की सरकारों ने प्रस्ताव भेजा है और उनको लगभग 150 करोड़ की राशि दे दी गई है।

महोदय, रेलवे स्टेशंस पर भी हमने इस दिशा में पहले फेज़ का काम शुरू कर दिया है। इस देश में 700 रेलवे स्टेशंस हैं, पहले फेज़ में हम उन स्टेशंस को दिव्यांगों

Q. No. 184 (CONTD.)

के लिए बाधामुक्त बना रहे हैं। इसके लिए वहां हम escalator और लिफ्ट लगा रहे हैं। अभी तक लगभग 700 रेलवे स्टेशंस पर काम शुरू हो चुका है। धीरे-धीरे हम सभी स्टेशंस को दिव्यांगों के लिए बाधामुक्त बनाएंगे, सभी ट्रांस्पोर्ट्स को बनाएंगे, बसेज़ को बनाएंगे, उनके लिए टॉयलेट बना रहे हैं। इस तरह हम इन सारे कामों को कर रहे हैं।

SHRI ANIL DESAI: Sir, the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, which came into force in April, 2017, has a provision that the Government frames schemes and programmes to support employment of persons with disabilities through vocational training and skill development. May I know, through you, from the hon. Minister what measures have been taken as of yet by the Government for creating institutions for vocational training and institutions for skill development? Has the vocational training started? Will there be separate skill development institutions for people with disabilities or will they have to go in the same stream and they will have reservation and other issues for getting admission into these institutions? May I know this from the Minister?

श्री कृष्ण पाल : महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा सवाल किया है। दिव्यांगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, उनको रोज़गार देने के लिए, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए हमारी सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं।

Q. No. 184 (CONTD.)

श्री सभापति : आप संक्षेप में स्पेसिफिक उत्तर दीजिए।

श्री कृष्ण पाल : इसके लिए हमने 237 इंस्टीट्यूट्स को empanel किया है।

(1s-rpm पर जारी)

RPM-YSR/1S/12.25

श्री कृष्ण पाल (क्रमागत) : महोदय, उनमें हम दिव्यांग बच्चों को कौशल विकास की ट्रेनिंग देने के लिए भेजते हैं। उसके ऊपर जो खर्च होता है, उसे हमारा विभाग वहन करता है। अब तक हम हजारों दिव्यांग लोगों को ट्रेनिंग दिलाने का काम और उसके बाद उन्हें रोजगार देने का काम कर चुके हैं। उन्हें स्व-रोजगार देने के लिए हमारा विकलांग विकास निगम है। उसके माध्यम से हम उन्हें 25 हजार से 25 लाख रुपए तक का लोन स्व-रोजगार के लिए देते हैं और यह स्थिति लगातार चलेगी। हमने टारगेट तय किया है कि हम वर्ष 2022 तक ऐसे लाखों दिव्यांगों को कौशल प्रशिक्षण देंगे और उन्हें रोजगार भी दिलाएंगे तथा यदि वे स्व रोजगार करना चाहेंगे, तो उसमें भी हम उनकी सहायता करेंगे।

श्रीमती विप्लव ठाकुर : सभापति जी, मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि इन्होंने handicapped और disabled के लिए अभी बहुत सारी स्कीमें बताई हैं, लेकिन क्या इन्हें इस बात की भी जानकारी है कि आज जो disabled, न चल सकता है, न उठ सकता है, जो बिस्तर पर लेटा है और जिसकी अंगुलियां भी काम नहीं कर रही हैं, उसकी पेंशन बन्द करने के ऑर्डर आ गए हैं, क्योंकि वह आधार कार्ड पर अपना प्रिंट

Q. No. 184 (CONTD.)

नहीं कर सकता है या अपना अंगूठा नहीं लगा सकता है? क्या इस बारे में गवर्नमेंट कुछ सोच रही है तथा क्या उसके लिए सरकार कोई स्कीम ला रही है, जिससे उन्हें आधार कार्ड की जरूरत न पड़े?

श्री कृष्ण पालः माननीय सभापति जी, मैं माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि पेंशन से संबंधित मामला, राज्य सरकारों से संबंधित है, लेकिन दिव्यांगों की इस परेशानी को दूर करने के लिए हमारी सरकार ने एक नई योजना बनाई है, जिसके अन्तर्गत अब यूनिवर्सल आइडेंटिटी कार्ड जारी किए जा रहे हैं। अभी हमने देश भर के 14 राज्यों में दिव्यांगों के लिए यूनिवर्सल आइडेंटिटी कार्ड बनाने का काम प्रारम्भ कर दिया है। अब से पहले यह होता था कि एक स्टेट में जो कार्ड बनता था, वह उसी स्टेट के दूसरे जिले में मान्य नहीं होता था या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भी मान्य नहीं होता था। हम नई योजना लेकर हम आए हैं और इसे 12 प्रदेशों में शुरू कर दिया गया है तथा अभी दो प्रदेशों में इसे शुरू करना बाकी है। दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 तक हम तमाम प्रदेशों में ...(व्यवधान)...

श्रीमती विप्लव ठाकुर : सभापति महोदय, मैंने मंत्री जी से पूछा है कि जो विकलांग बिस्तर पर लेटा है, उसके हाथ-पैर नहीं चल रहे हैं, ...(व्यवधान)... उसकी अंगुलियां भी काम नहीं कर रही है ...(व्यवधान)... और वह आधार कार्ड बनाने की स्थिति में नहीं है, ...(व्यवधान)... उसकी पेंशन बन्द की जा रही है, उसके लिए सरकार क्या कर रही है...(व्यवधान)...

Q. No. 184 (CONTD.)

श्री सभापति : विप्लव ठाकुर जी, ठीक है। मैं समझ गया। Please, please. ...(व्यवधान)...

श्री कृष्ण पाल: महोदया, मैं उन्हीं के लिए कह रहा हूं कि यह राज्य सरकारों से संबंधित विषय है। ...(व्यवधान)... हम राज्य सरकारों को सलाह देते हैं। ...(व्यवधान)

श्री सभापति : विप्लव जी, ऐसा नहीं चलेगा। प्लीज आप बैठ जाइए। Please, please....(व्यवधान)... मंत्री जी, आपको समझ में आया होगा कि जो लोग अंगूठा नहीं लगा सकते हैं, उनके लिए क्या आपने कोई आल्टरनेटिव व्यवस्था की है और क्या यह विषय आपके ध्यान में आया है? ...(व्यवधान)...

श्री कृष्ण पाल: माननीय सभापति जी, मैं माननीय सदस्या को यह बताना चाहता हूं कि पेंशन राज्य सरकार का कार्य है, लेकिन उन राज्यों के दिव्यांगों को पेंशन ...(व्यवधान)..

MR. CHAIRMAN: This is not the way. You are all senior Members. If you are not satisfied, you write a letter to me. I will look into that. ...(Interruptions)... Nothing will go on record while you are sitting and talking. That will not go on record.

श्री कृष्ण पाल: माननीय सभापति जी, मैं माननीय सदस्या को यही बताना चाहता हूं कि राज्य में पेंशन लेने के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है। अतः राज्यों में पेंशन प्राप्त करने

Q. No. 184 (CONTD.)

के लिए आधार कार्ड की जरूरत नहीं है। जहां तक यूआईडीएआई कार्ड का सवाल है, वह उसका बन रहा है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः प्लीज, आप लोग ऐसे ही बैठे-बैठे बात कर रहे हैं। यह पद्धति नहीं है, यह आपको भी मालूम है। ...(व्यवधान)...

SHRIMATI RAJANI PATIL: Sir, we need your protection. ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Don't make allegations. If you have something specific and concrete, you write to me. I will definitely look into it.

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा : मान्यवर, handicapped का issue एक बहुत ही sensitive issue है और मैं इससे खुद व्यक्तिगत रूप से वर्ष 1986 से जुड़ा हुआ हूं, जब मैंने अपने नाम से इनके लिए एक पीआईएल फाइल की थी, तब से लेकर आज तक जुड़ा हुआ हूं। मैं उनकी समस्याओं को भी जानता हूं, खासतौर से ब्लाइंड की समस्याएं मैंने पिछले 31 वर्षों से स्वयं देखी हैं।

(1 टी/पीएसवी पर जारी)

PSV-VKK/1T/12.30

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा (क्रमागत): आज जो ब्लाइंड पर्सन्स हैं या जो अन्य हैंडिकैप्ड पर्सन्स हैं, खास तौर से जो ब्लाइंड हैं, उनको एजुकेशन में जब तक आप पढ़ायेंगे नहीं, तब तक उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते। वे एम्प्लॉयमेंट के लायक तब होंगे, जब वे पढ़ाई-लिखाई करेंगे। उनको पढ़ने-लिखने के लिए एक माहौल चाहिए और

Q. No. 184 (CONTD.)

माहौल के लिए उनको एक स्थान चाहिए, जहाँ वे रह सकें। उत्तर प्रदेश में भी यही व्यवस्था थी, जब मैंने पीआईएल की थी। उसके बाद, खुशी की बात यह है कि आगे चल कर जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार आयी और सुश्री बहन मायावती जी मुख्य मंत्री बनीं, तो उनके द्वारा वहाँ पर 800 करोड़ रुपये खर्च करके हमारी पूजनीय माता जी, स्व. (डा.) शकुंतला मिश्रा जी के नाम से वहाँ एक युनिवर्सिटी बनी है, जोकि शायद सभी लोगों ने ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः आपका सवाल क्या है? ...(व्यवधान)... आप क्वेश्चन पूछिए। ...(व्यवधान)...

श्री सतीश चन्द्र मिश्राः मैं चाहूँगा कि एक बार आप भी उसको जरूर देखें कि वहाँ पर किस तरह से हर तरह के हैंडिकैप्ड पर्सन्स को फैसिलिटीज़ दी गई हैं, उनको पढ़ाया गया है और उनका एम्प्लॉयमेंट हो रही है।

श्री सभापतिः थैंक यू।

श्री सतीश चन्द्र मिश्राः लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि आज दिल्ली शहर में पिछले ही तीन-चार दिन पहले हम लोगों को अखबार में यह देखने को मिला कि जो ब्लाइंड पर्सन्स हैं, जहाँ पर वे रह रहे थे, जहाँ पर रह कर वे अपनी पढ़ाई की तैयारी कर रहे थे, जहाँ पर अपने आगे के एम्प्लॉयमेंट के बारे में योजना बना रहे थे, वहाँ पर उनकी उस जगह को डिमॉलिश कर दिया गया, वहाँ बुलडोज़र चला दिया गया। बुलडोज़र चलाकर डिमॉलिशन करने के बाद..

Q. No. 184 (CONTD.)

श्री सभापतिः आप क्वेश्चन पूछिए।

श्री सतीश चन्द्र मिश्राः डिमॉलिशन के बाद उनको सड़क पर छोड़ दिया गया और अखबार में दिखाया गया कि किस तरह से वे अपने कागज ढूँढ़ रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: Right.

श्री सतीश चन्द्र मिश्राः तो क्या माननीय मंत्री जी, इस चीज़ के बारे में कोई व्यवस्था कर रहे हैं, ऐसे विकलांग लोगों के लिए, ब्लाइंड पर्सन्स के लिए, कि कम से कम उनके लिए रहने की एक परमानेंट व्यवस्था हो, सेट-अप हो, जहाँ रह कर वे अपनी पढ़ाई-लिखाई कर सकें और अपनी नौकरी पर भी जा सकें? ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः मंत्री जी, जवाब दीजिए।

श्री कृष्ण पालः माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री सतीश चन्द्र मिश्रा जी हमारे बहुत काबिल सांसद हैं। इन्होंने सही कहा। ये जो दिव्यांग लोग हैं, ब्लाइंड लोग हैं, इनके लिए हमने एजुकेशन में भी जो रिजर्वेशन है, नये बिल में, चार से पाँच परसेंट किया है। इनके लिए DDR Scheme के तहत स्पेशल स्कूल्स चलाये जा रहे हैं।

श्री सतीश चन्द्र मिश्राः रहने के लिए ...(व्यवधान)...

श्री कृष्ण पालः इनके रहने के लिए होस्टल्स ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः प्लीज़। ...(व्यवधान)... मैं पूछूँगा। ...(व्यवधान)...

श्री सतीश चन्द्र मिश्राः मान्यवर ...(व्यवधान)... उत्तर प्रदेश में तो हमने हर जिले में बनवा दिया था। ...(व्यवधान)...

Q. No. 184 (CONTD.)

श्री सभापतिः नहीं, नहीं। ...(व्यवधान)...

श्री सतीश चन्द्र मिश्राः आप बताइए कि...(व्यवधान)... जो दिल्ली का मामला है, ...(व्यवधान)... वे आज भी सड़क पर खड़े हैं। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः सतीश जी, प्लीज़। ...(व्यवधान)... आपने सवाल पूछ लिया है। ...(व्यवधान)... अब आप जवाब आने दीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री सतीश चन्द्र मिश्राः खास तौर से उसके बारे में जवाब दीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः प्लीज़, प्लीज़। ...(व्यवधान)...

श्री कृष्ण पालः सर, उनके लिए...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः बिना चेयर की अनुमति के कोई भी बोले या खड़ा हो, वह तो रिकॉर्ड में नहीं जायेगा। आप सबको मालूम है कि यह पद्धति है।

दिल्ली के बारे में जो सीधा पूछा गया है, उसके बारे में आपके पास अगर जानकारी है, तो बताइए।

श्री कृष्ण पालः माननीय सभापति जी, दिल्ली के बारे में जो पूछा गया है, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मैं माननीय सदस्य को बताता हूँ कि उसकी जानकारी लेकर उन्हें उस जानकारी से अवगत करा दिया जायेगा।

श्री सभापतिः ठीक है।

श्री कृष्ण पालः जहाँ तक इन visually-impaired लोगों की बात है, तो एजुकेशन में उनके लिए हमने रिजर्वेशन बढ़ाया है। DDR Scheme के तहत जो एनजीओज़ हैं,

Q. No. 184 (CONTD.)

जहाँ वे पढ़ते हैं, उनको सारा खर्चा हमारे विभाग की तरफ से दिया जाता है। इसके साथ-साथ उनकी इन्क्लूसिव एजुकेशन के लिए भी अब हमने प्रबंध किया है। स्पेशल स्कूल्स में नहीं, जो सामान्य स्कूल्स हैं, उनमें भी उनको दाखिले से कोई वंचित नहीं करेगा। उनके लिए स्पेशल एजुकेटर उन स्कूल्स को लगाना पड़ेगा। ये सारे प्रावधान हमारी सरकार ने किये हैं।

श्री सभापतिः धन्यवाद। दिल्ली के बारे में जो स्पेसिफिक पूछा गया है, पहले ज़ीरो ऑवर में भी एक सबमिशन था। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर हरदीप सिंह पुरी जी के पास जानकारी है, तो वे बताएँ। ...(व्यवधान)... इसीलिए मैंने खुद आपका सवाल उनसे पूछा है।

SHRI HARDEEP SINGH PURI: Mr. Chairman, Sir, I seek your permission to respond to the specific issue raised by the hon. Member in relation to the four blind students who were allegedly displaced on account of some anti-encroachment activity carried out by the DDA. Sir, I had responded to this earlier in response to a Starred Question and the facts are the following. These students had been rehabilitated in an adjoining school. This had been provided for but they were brought back. This is an incident which took place on December 15th. But, just when that issue was being discussed, it was reported in the newspapers on December 23rd. This is an

Q. No. 184 (CONTD.)

illegal encroachment on DDA land and these four blind students were being used as ruse for those who were engaging in illegal activities in this school in order to lay a claim to that property. So, it is not correct to say that they were displaced from there. They had been offered alternate placement in a school for blinds and visually-impaired in a nearby area.

(Contd. by RL/1U)

-VKK/RL-VNK/12.35/1U

SHRI HARDEEP SINGH PURI (CONTD.): And, after having been given notices, after several months, this had been done. But, then, this publicity in a news report was created that day. ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Okay, please. ...(Interruptions)...

SHRI HARDEEP SINGH PURI: So, let me again submit, Sir, that we have already provided alternate placements and it is our policy not to do this, especially, during winter months,. ...(Interruptions)...

SHRI ANAND SHARMA: Sir,... ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Please, I can't go against the rules. ...(Interruptions)... Only three supplementaries are allowed. ...(Interruptions)... What is your specific point?

Q. No. 184 (CONTD.)

SHRI ANAND SHARMA: Sir, it is a very sensitive thing. We appreciate that the Minister has...

MR. CHAIRMAN: No, no, Anand Sharmaji, you know the rules. ...(Interruptions)... You know the rules better than me. ...(Interruptions)...

SHRI ANAND SHARMA: Mr. Chairman, I know the rules. That is why...

MR. CHAIRMAN: That is why; I have also taken up the issue with him. Now, Question No. 185. ...(Interruptions)...

SHRI ANAND SHARMA: No, Sir, I should be allowed to ask...

MR. CHAIRMAN: No, no, Question No. 185. Instead of that, you send me a note, please. ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Yes, Question No. 185. Please, ...(Interruptions)..

SHRI ANAND SHARMA: Please, Sir.

MR. CHAIRMAN: It won't be nice for me to engage in a verbal duel with you. Please sit down. ...(Interruptions)...

SHRI ANAND SHARMA: It will be a bad precedent that I am not being allowed to ask questions. ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: That is what I am saying, do not create a bad precedent. Please, please. ...(Interruptions)...

SHRI ANAND SHARMA: Sir, *

MR. CHAIRMAN: That will not go on record. Please do not argue unnecessarily, please. ...(Interruptions)....

SHRI ANAND SHARMA: *

MR. CHAIRMAN: Everything with the permission of the Chair will go on record. ...(Interruptions)... Please. ...(Interruptions)...

SHRI ANAND SHARMA: *

MR. CHAIRMAN: That is totally an unfair comment unbecoming of you as the Deputy Leader. I know the rules. ...(Interruptions)... The rule says that three supplementaries are allowed. ...(Interruptions)...You had not given the name and now you are making a charge against the Chair also. ...(Interruptions)...You are making a sweeping remark on the Chair. This will not be allowed. Please, this will not be allowed. ...(Interruptions)...

SHRI ANAND SHARMA: *

MR. CHAIRMAN: You said, "In the insensitive manner." Who is insensitive? Please, ...(Interruptions)... Nothing will go on record.

SHRI ANAND SHARMA: * (Ends)

***Not recorded.**

प्रश्न संख्या 185

श्री राम नाथ ठाकुर : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ कि इम्फाल एवं आइज़ॉल के नजदीकी स्थानों को बड़ी रेल लाइन से जोड़ने का काम कब और किसी तिथि से शुरू हुआ है और वह काम कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

डा. जितेन्द्र सिंह : सभापति महोदय, आदरणीय सदस्य का धन्यवाद है कि उन्होंने यह प्रश्न पूछा। पिछले तीन-चार वर्षों में अद्भुत क्रांतिकारी...(व्यवधान)...

SHRI T. SUBBARAMI REDDY: Sir,... (Interruptions)...

SHRI BHUBANESWAR KALITA: Sir,... ...(Interruptions)...

श्री सभापति : प्लीज़, बैठिए।...(व्यवधान)... For asking a supplementary, you have sent a slip and I will see. ...(Interruptions)...You can't demand कि सर, मेरा क्या हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे होता है? सब नाम नोट कर रहे हैं। And, I am trying to cover the entire House. Please, Dr. T. Subbarami Reddy, what you are speaking is not going on record, please.

DR. T. SUBBARAMI REDDY: *

MR. CHAIRMAN: Why are you getting so angry? ...(Interruptions)... You are

---

* Not recorded.

Q. No. 185 (CONTD.)

such a senior leader, Shri Anand Sharma. नाम में भी आनन्द है, हाउस में भी आनन्द होना चाहिए।...(व्यवधान)...

डा. जितेन्द्र सिंह : सभापति महोदय, पिछले तीन-चार वर्षों में अद्भुत क्रांतिकारी परिवर्तन कार्य हुए हैं पूर्वोत्तर को लेकर, in fact, this has been a journey from a State of relative neglect to high prioritization. और यह कहने में कोई झिझक नहीं कि प्रधान मंत्री जी की व्यक्तिगत प्राथमिकता के कारण ही इसको काफी बढ़ावा मिला है। The Members, whether they like it or not know, that it was after 40 years that a Prime Minister has visited Shillong to attend the Plenary Meeting of NEC. If it is laughable, that is a different thing but that is a fact. That is the high priority and more than a dozen times, the Prime Minister has visited in the last three years and there was a roster formed for each of the State to be visited by at least one Union Minister, at least, once in a fortnight. So, the Government has tried to give very high priority to the issues related to the North East. We have come out with an Amendment in the Forest Act which was pending for the last 90 years to take out bamboo from the non-forest areas. But, coming specifically to what has been asked, आदरणीय सदस्य ने रेल के संबंध में पूछा है, जब यह सरकार 2014 में सत्ता में आई, शायद हमारे ध्यान में है

Q. No. 185 (CONTD.)

कि नहीं, कम से कम दो प्रदेश ऐसे थे, जहां लोगों ने कभी रेलगाड़ी नहीं देखी थी, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश।

MR. CHAIRMAN: Okay, please complete.

डा. जितेन्द्र सिंह : सर, आज यह स्थिति है कि in the next one year, we will have a double gauge rail track in all the States except, perhaps, Sikkim, because of its topographic reasons.

MR. CHAIRMAN: Okay, thank you.

डा. जितेन्द्र सिंह : सर, जहां तक इन्होंने स्पेसिफिक इम्फाल का कहा है, वहां पर डबल ट्रैक का काम शुरू हो गया है और वह अगले साल तक संपन्न हो जाएगा। उसके लिए 5,606 करोड़ रुपए का बजट है, 15 नई रेल लाइनें हैं और 6 डबल ट्रैक के प्रोजेक्ट्स हैं। राजधानियों में गुवाहटी, ईटानगर और अगरतला पहले से ही डबल ट्रैक से कनेक्टेड हो चुके हैं, इम्फाल शीघ्र हो जाएगा।...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Thank you, Minister. You are giving more than the required information. Now, the second supplementary.

(Followed by KR-NKR/1W)

KR/NKR/1W/12.40

Q. No. 185 (CONTD.)

श्री राम नाथ ठाकुर : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि शिलांग तक रेल लिंक कब से और किस कारण से रुका हुआ है?

डा. जितेन्द्र सिंह : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न सदन में पूछा है। आपके माध्यम से माननीय सदस्य और पूरे सदन के साथ यह जानकारी साझा करते हुए मुझे प्रसन्नता है कि हमने एक योजना बनाई थी कि तमाम राजधानियों को डबल ट्रैक के साथ कनेक्ट कर दिया जाए। Despite all the constraints, like the constraints of topography, constraints of climate, constraints of geographical regions, हमारे सामने जो constraints हैं, उनका अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि 31 अगस्त तक, डेढ़ महीने तक हमें सारी रेलगाड़ियों का यातायात वहां बंद करना पड़ा, क्योंकि इस बार वहां भारी बारिश हुई थी। इन सब constraints के बावजूद गोहाटी, ईटानगर, अगरतल्ला तो connect हो गए, लेकिन शिलांग specifically connect नहीं हो पाया, क्योंकि वहां कुछ local protests हुए हैं। I don't want to go into that but Imphal 2020 तक connect हो रहा है, आइज़ॉल भी 2020 तक connect हो रहा है, कोहिमा में थोड़ा समय लगेगा और गेंगटॉक through रेंपो connect हो जाएगा। सारी राजधानियों और शिलांग तक काम जारी है। वहां जो थोड़ा स्थानीय गतिरोध है, उसका समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है। हम जल्दी से जल्दी सभी राजधानियों को upgrade करने का प्रयास कर रहे हैं।

Q. No. 185 (CONTD.)

MR. CHAIRMAN: Thank you, thank you. .. (Interruptions)..

DR. JITENDRA SINGH: Thank you, Sir.

श्री सभापति : मंत्री जी, समय का ध्यान होना चाहिए। बाकी लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। श्री रिपुन बोरा जी, क्योंकि यह प्रश्न पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित है।

..(व्यवधान).. This question relates to North-East. Please sit down. Shri Ripun Bora.

DR. T. SUBBARAMI REDDY: The entire House should be given a chance. ..(Interruptions)..

MR. CHAIRMAN: I have given him priority as he comes from North East. ..(Interruptions).. No arguments, please. If anybody has got any grievance, they can come to the Chairman's Chamber. This is not the way...(Interruptions).. Mr. Reddy, please, you are a senior Member, you know what the rule is.

SHRI RIPUN BORA: Mr. Chairman, Sir, the hon. Minister has given in his reply a very long description of the activities taken up for the infrastructure development in the Region. But I want to say that all these will be a futile attempt. The North East Industrial Promotion Policy was suspended by this Government in the year 2014. So, I want to know without the Industrial

Q. No. 185 (CONTD.)

Promotion Policy as to how the North Eastern Region be developed. This is one. Secondly, ..

MR. CHAIRMAN: Only one supplementary.

SHRI RIPUN BORA: This is a related question. The two public sector undertakings in Assam are only profit-making undertakings.

MR. CHAIRMAN: You have raised a question, you will get the answer.

SHRI RIPUN BORA: Cachar Paper Mill and Nowgong had been closed by your Government. What is your reply about the development of the North East?

DR. JITENDRA SINGH: Mr. Chairman, Sir, I am glad that the hon. Member has expressed his concern for giving a boost to the industrial sector in North East which is, of course, the priority of the Government as well. But I hope he would appreciate that in order to promote industry, to promote entrepreneurship, it is not a single factor venture, it is related to several other factors, including connectivity, including transport, of course, related to the policy that he is referring to. As far as the North East Industrial Promotion Policy is concerned, to which the hon. Member has referred to, it is not being discontinued. There was some thinking going on. We engaged

Q. No. 185 (CONTD.)

ourselves with the Ministry of Commerce. We had some constraints of financial resources but it is continuing.

Having said that, in order to promote entrepreneurship, you would realize that this Government has brought in Startup India Programme which is unique in the form that it has provision for a tax holiday, provision for an exit period of three months. To that the Ministry of DoNER has added one more feature that of a venture fund which means any youngster who wishes to try his fortune or luck in North East and set up an entrepreneurship there would be given a venture fund for which we have already deposited Rs.1,000 crores with NEDFi which is the banking authority over there. So, in other words, we are already into an effort to promote entrepreneurship industry. I am sure if we succeed in this direction; the day is not far when the North East would become one of the favourite destinations for young startups from all over India. This will be combined with the network of rail tracks and the Udan-related air connectivity that we are trying to plan in the next one or two years.

(Followed by 1X/KS)

KS-DS/1X/12.45

Q. No. 185 (CONTD.)

SHRI BHUBANESWAR KALITA: Sir, the hon. Minister has, of course, provided a lot of information in his reply and he has also said that the new schemes, the start-up and stand-up companies, would take care of the entrepreneurial concerns. But here, the question is specific. It is about infrastructure. Now, the broad-guaging and critical connectivity of railway lines is one of the projects, which has been confirmed by the hon. Minister. But even now, the Capital cities of Manipur, Mizoram, Nagaland and Sikkim are yet to be connected. And the Minister says that Guwahati and Itanagar are connected. It was connected earlier; the broad-guaging had been done earlier.

MR. CHAIRMAN: Put the question.

SHRI BHUBANESWAR KALITA: Sir, what new is the Government going to do? That is the (a) part of my question.

श्री सभापति : ऐसे ए, बी नहीं होता है।

SHRI BHUBANESWAR KALITA: Sir, 100 per cent Centrally funded special infrastructure development schemes have been approved and...

MR. CHAIRMAN: Question, please.

Q. No. 185 (CONTD.)

SHRI BHUBANESWAR KALITA: A few sectors have been identified. I would like to know from the hon. Minister the total allocation under this scheme and the sectors that have been identified.

SHRI JITENDRA SINGH: Mr. Chairman, Sir, the hon. Member is a senior Member from the Region and knows the Region quite well. He has asked the question in two parts.

As far as the first part of the question is concerned, I had partly answered it while answering to the earlier question. Specifically coming to the connectivity of Shillong, for example, which is one of the stations that he has pointed out, as I said, there are some local issues which have stalled the work of setting up a railway station with a broad guage. Once those are resolved, we would start the work immediately. As far as the airport is concerned, it would be unfair to say that this Government has not done anything and that everything was done by the earlier Government. Although I don't want to say that everything was done by us; we are just continuing the good work on a priority basis. But, yes, I would definitely not hesitate in taking credit in saying that Shillong was the original Capital of the erstwhile Assam and, till date, it does not have a full-fledged airport. It was this

Q. No. 185 (CONTD.)

Government that took this into consideration and on the part of the Ministry of DoNER, I take pride in… ...(Interruptions)... No, no. Let me complete, please. ...(Interruptions)... From the Ministry of DoNER, in order to be active participants, we are contributing to the lengthening of the airstrip and the Civil Aviation Ministry would take up the rest of the case.

Besides that, the rail station connectivity between Aizawl and Imphal would be in place by 2020; Kohima may take some time; Gangtok, of course, we have Rangtuk. And if you want me to give you the Budget figures, if the hon. Chairman permits me, I would give that too.

MR. CHAIRMAN: You may send it to the hon. Member. ...(Interruptions)...

DR. JITENDRA SINGH: Sir, this was the second part of the question.

MR. CHAIRMAN: Please; why are you worried? I am saying this. Please send those details to the hon. Member. Now, Dr. Subbarami Reddy.

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Sir, the Ministry of Road Transport and Highways has formulated a Special Accelerated Road Development Programme for the North-East, for upgradation of identified road space and for improving connectivity. The Minister mentioned about Arunachal Pradesh, but not about Nagaland and Mizoram. I would like to know what

Q. No. 185 (CONTD.)

the plans are in this regard. Recently, the hon. Prime Minister announced Rs. 96,000 crores to...

MR. CHAIRMAN: One supplementary, please.

DR. T. SUBBARAMI REDDY: What is the actual line of action with regard to the Prime Minister's programme?

DR. JITENDRA SINGH: Thank you, Dr. Reddy. Actually, I did mention that as far as Mizoram is concerned, Aizawl would be connected by rail by 2020. Now, at the risk of sounding like we did it, let me tell you that in the last two years we have had a direct flight from Delhi to Aizawl.

DR. T. SUBBARAMI REDDY: By roads, not... ...(Interruptions)...

DR. JITENDRA SINGH: For roads, we have already sanctioned more than Rs. 5,500 crore for the entire Region, including Mizoram. As far as Nagaland is concerned, as I have mentioned already, in Kohima we are coming up with a railway station. As far as the airport is concerned, of course, we still have the Lilabari pending. We have already started the process of acquiring land in Itanagar. But this is all being taken up in parts in spite of all the constraints that I mentioned. The hon. Prime Minister

Q. No. 185 (CONTD.)

himself was there just last month in Aizawl, and a 60 MW power project was also dedicated… …(Interruptions)…

MR. CHAIRMAN: Please, Dr. Subbarami Reddy. ऐसा नहीं होता है। …(व्यवधान)…

(CONTD. BY RSS/1Y)

MCM-RSS/1Y/12.50

MR. CHAIRMAN (CONTD.): Mr. Minister, you need not answer questions like that. ऐसा होता नहीं, मि0 मिनिस्टर . You have to go by the Chair. I am telling every Minister and also every Member. There is a procedure. If everyone stands up, and then ask something, and the Minister starts reacting and all… (Interruptions)… Your first question has been answered please. You cannot have two questions. I have to go by some rules and regulations and also procedure and practice. I am ready to do it. I do not know why people are becoming impatient. Now. Q.No. 186. I want everyone to get an opportunity. Other questions are there. Otherwise, I have no problem. Let the Rules Committee decide only three questions. I will go by that only. "सब का साथ सब का विकास"

(समाप्त)

प्रश्न संख्या 186

श्री हरिवंश : धन्यवाद सर, मैं सवाल पूछने से पहले आपके इस समतावादी दृष्टि की सराहना करता हूं कि आप मंत्रियों को संक्षिप्त उत्तर देने के लिए बाध्य कर रहे हैं। मेरा केवल छोटा सवाल है।

श्री सभापति : उनके पास ज्यादा जानकारी है, यही उनकी प्रॉब्लम है।

श्री हरिवंश : सर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा बहुत छोटा सवाल है। उनका पूरा उत्तर मैंने पढ़ा, उत्तर का एक अंश कहता है कि ऐसी चीजों को रोकने के लिए किशोर शिक्षा कार्यक्रम के लिए सरकार अनुदान दे रही है, लेकिन क्या कोई Impact Study assessment है, जिससे पता चले कि ऐसी क्रूर घटनाएं इसके बाद कम हुई हैं?

श्री उपेन्द्र कुशवाहा : महोदय, यह विषय क्योंकि डॉयरेक्टली स्टेट्स से कंसर्न्ड है, हम लोग स्टेट को ग्रांट भी देते हैं और समय-समय पर एडवाइजरी देते हैं, गाइडलाइंस जारी करते हैं और उसके अकॉर्डिंग एक्ट इम्प्लीमेंट करता है। निश्चित रूप से हम यह कह सकते हैं कि जो भी हम ग्रांट देते हैं उसका यूटिलाइजेशन हमको मिलता है और फिर अगला ग्रांट हम देते हैं। यूटिलाइजेशन मिलता है, इट मींस कि कार्यक्रम इम्प्लीमेंट हो रहा है या स्कीम इम्प्लीमेंट हो रही है और उसका इम्पेक्ट भी स्टेट में निश्चित रूप से पड़ रहा है।

श्री हरिवंश : महोदय, मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री आपके माध्यम से है कि मेरी सूचना के अनुसार ऐसी घटनाएं निरन्तर बढ़ रही हैं। अभी 31 दिसम्बर को दिल्ली के टाइम्स

Q. No. 186 (CONTD.)

ऑफ इंडिया में पहले पेज पर ऐसी एक क्रूर घटना का उल्लेख है। मैं मानता हूं कि राज्य सरकारें अपने कानून के दायरे में उस पर कार्यवाही करें, लेकिन कल मैंने Huffington Post में ओपन लैटर टू इंडिया देखा। इसमें उन्होंने बच्चों के बारे में अपने वेल्यूज़ के बारे में लिखा है कि भारत के बच्चे क्या ध्यान में रखें। अभी चीन का भी देखा कि वे अपने बच्चों को कैसे अनुशासित करते हैं। हमारे वेल्यूज़ बच्चों को कैसे मिले, केन्द्रीय स्तर पर ऐसी कोई योजना सरकार की है?

श्री उपेन्द्र कुशवाहा : महोदय, RTE एक्ट के अनुसार भी बच्चों को वेल्यू एजुकेशन देने की बात है, जो चल रही है। हर लेवल पर वेल्यू एजुकेशन के लिए हम प्रयत्नशील हैं। ऑलरेडि पहले से भी चल रहा है और आगे भी इस तरह की योजना चलाई जाएगी।

चौधरी सुखराम सिंह यादव : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, माननीय सदस्य की इच्छा के अनुसार पूर्ति नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि बालकों के यौन शोषण को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसी योजना बनाई जा रही है और इसका राज्य सरकारें पालन कर रही हैं या नहीं कर रही हैं या कोई और योजना आगे बनाने का विचार है और अगर है तो कब तक?

श्री उपेन्द्र कुशवाहा : महोदय, कई लेवल पर इसके लिए पहले से हमारी कोशिश चल रही है। सबसे पहले तो जो स्कूल के बच्चे हैं, वहां फिजिकल पनिशमेंट किसी तरह का या मेंटल हेरेसमेंट RTE एक्ट के अनुसार, मना किया गया है। अगर कहीं ऐसा होता है तो उसके लिए जो कंसर्न्ड पर्सन्स हैं, दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही भी स्टेट गवर्नमेंट

Q. No. 186 (CONTD.)

करती है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के माध्यम से जो पहले से हमारी योजना चल रही है, स्टेटवाइज़ किस स्टेट में हमने कितना क्या किया है, उसकी भी डिटेल है, जो माननीय सदस्य को हम भिजवा देंगे। साथ ही साथ जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो सी0बी0एस0ई0 से एफेलिएटेड स्कूल हैं, ...(व्यवधान).....

चौधरी सुखराम सिंह यादव : बाल शोषण के बारे में बताएं?

श्री उपेन्द्र कुशवाहा : बाल शोषण के बारे में ही हम बोल रहे हैं।

(1Z/GS पर जारी)

KGG-GS/1Z/12.55

श्री उपेन्द्र कुशवाहा : जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो CBSE affiliated स्कूल्स हैं, उनके संबंध में CBSE ने अपने नॉर्म्स में कई ऐसी चीज़ों को इन्क्लूड किया है कि affiliation देते समय, उन चीजों का ख्याल CBSE को निश्चित रूप से रखना है, जैसे सीसीटीवी कैमरा लगाना है, girls students और boys students के लिए अलग-अलग टॉयलेट्स बनाने हैं, जो उनका स्टाफ है, उनकी पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट अपने पास रखनी है। इस तरह के तमाम मेज़र्स को हम ले रहे हैं।

चौधरी सुखराम सिंह यादव : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

श्री सभापति : आपने पहली बार अच्छा सवाल पूछा है और मंत्री जी ने जवाब दिया है। आप बैठ जाइए।

Q. No. 186 (CONTD.)

SHRIMATI KANIMOZHI: Sir, in his answer the Minister mentioned that as a safety measure character antecedent verification has to be done. I would like to know through you, Sir, whether there are any records available with them because the child sexual abuser in one State can easily shift to another State or another place and go and join another school, work with children somewhere else. Many of the developed nations have records about these child sexual offenders so that they are not given any opportunity to work with the children in future. Do we have any records to prohibit these offenders from working with children in any field? Thank you, Sir.

श्री उपेन्द्र कुशवाहा : माननीय सभापति जी, माननीय सदस्या का सवाल बहुत अच्छा है। डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को निश्चित रूप से हम इसके अनुसार एडवाइज़ करेंगे और जहां तक रिकॉर्ड रखने की बात है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स रिकॉर्ड्स रखती हैं। हम अपने लेवल पर अभी रिकॉर्ड्स नहीं रखते हैं, लेकिन आपका सुझाव है, तो हम आगे जरूर इसका ख्याल रखेंगे।

DR. K. KESHAVA RAO: Sir, the problem is that the Minister knows more than what he should know! सवाल यह है कि हम इसके बारे में सालों से बोल रहे हैं। हमने हर बार अवेयरनेस का वर्ड यूज़ किया है और आप जो बोल रहे हैं ; for the past thirty years we are saying. It is about sexual abuse. We have used the word

Q. No. 186 (CONTD.)

'awareness'. You are talking about the Concurrent List and it is wrong. The syllabus of CBSE comes from the Centre. If you talk about *maadhyamika* class, it is from the Centre. Almost all syllabus courses are coming from the Centre. So, the Centre must take the responsibility. My specific point is that you have spoken about awareness. To create awareness among the teachers, among the children, what are you doing? Have you included that in the syllabus, which we have promised, in the new National Education Policy? जब तक सिलेबस में यह नहीं आएगा , no use of this. Let me say this. Only saying 'yes' will not do. There is no book today. Unless you have sex education, it will not stop. For awareness, are you now changing any syllabus which includes this awareness programme?

श्री उपेन्द्र कुशवाहा : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने नई शिक्षा नीति के अंतर्गत इसको जोड़ने की बात कही है, इसके लिए तो नई शिक्षा नीति आने तक इंतजार करना पड़ेगा।

(समाप्त)

प्रश्न संख्या 187

डा. विकास महात्मे : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब सिविलाइज़ेशन की शुरुआत हुई थी, तब सभी "घुमंतु" थे और धीरे-धीरे एक टोली बसती , जिसने गांव का रूप धारण किया और उन्होंने स्थायी रूप लिया। सिविलाइज़ेशन बढ़ाने के लिए स्थायी रूप लेना जरूरी है, लेकिन जो भी "घुमंतु" जन-जातियां हैं, उनके लिए आज भी सिविलाइज़ेशन के लिए क्या सरकार कोई उपाय कर रही है, विचार कर रही है, ताकि "घुमंतु" जनजातियों को स्थायी रूप मिले? मैं उदाहरण के रूप में बताना चाहूंगा कि...

श्री सभापति : टाइम कम है। You will not get answer afterwards.

डा. विकास महात्मे : आप "घुमंतु" जनजातियों को स्थायी रूप देने के लिए कौन-कौन सी सुविधाएं दे रहे हैं?

श्री कृष्ण पाल : माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, उसके बारे में, मैं उनको बताना चाहूंगा कि जो पहले बालकृष्ण रेणके कमीशन बना, उसके पास भी इस तरह के कोई आंकड़े नहीं थे। अब जो कमीशन बना है, उसने 08-01-2018 को फाइनल रिपोर्ट देनी है। उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।

श्री सभापति : हो गया न? You are satisfied? Thank you. He does not have another supplementary.

(Contd. by SSS/2A)

SSS-HMS/2A/1.00

MR. CHAIRMAN (CONTD.): Question Hour is over. Statement by Minister correcting answer to question, Shri Jayant Sinha. (Ends)

RE. UNSTARRED QUESTION NO. 337
ANSWERED ON 19TH DECEMBER, 2017

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (SHRI JAYANT SINHA): Sir, I lay on the Table, a Statement (in English and Hindi) correcting the answer to Unstarred Question 337 given in the Rajya Sabha on the 19th December, 2017 regarding 'UDAN Scheme'. (Ends)

MR. CHAIRMAN: Friends, when questions are put, it should be short. Answers also should be to the point. Otherwise, we will not be able to cover many questions. Today more than seven questions could not be answered. Please keep that in mind. The House is adjourned till 2.00 p.m.

...

The House then adjourned for lunch
at one minute past one of the clock.